

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 961 सन 2021

अनवान :-

1. बुधराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 03/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 111/114 के खसरा न0 43/1 की कुल 6.3360 हैक्ठु भूमि जिसमें सयुक्त तौर से बुधराम पुत्र रामकरण अकेला 1/5 हिस्सा व लादुराम पुत्र रामकरण अकेला 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 110/115 के खसरा न0 32 की 27.7590 हैक्ठु भूमि में बुधराम पुत्र रामकरण का 1/15 हिस्सा व लादुराम पुत्र रामकरण का 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात दोनो सगे भाई है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा कर लिया था जो वाद की मद संख्या 3 के अनुसार है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त करने की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 111/114 के खसरा न0 43/1 की कुल 6.3360 हैक्ठु भूमि जिसमें सयुक्त तौर से बुधराम पुत्र रामकरण अकेला 1/5 हिस्सा व लादुराम पुत्र



रामकरण अकेला 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 110/115 के खसरा न0 32 की 27.7590हैक् भूमि में बुधराम पुत्र रामकरण का 1/15 हिस्सा व लादुराम पुत्र रामकरण का 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात दोनो सगे भाई है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर काफी समय पूर्व बाहमी बटवारा कर लिया था जो वाद की मद संख्या 3 के अनुसार है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 111/114 के खसरा न0 43/1 की कुल 6.3360हैक् भूमि जिसमें सयुक्त तौर से बुधराम पुत्र रामकरण अकेला 1/5 हिस्सा व लादुराम पुत्र रामकरण अकेला 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 110/115 के खसरा न0 32 की 27.7590हैक् भूमि में बुधराम पुत्र रामकरण का 1/15 हिस्सा व लादुराम पुत्र रामकरण का 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।


वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य भूमि काश्त करने की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 110/115 की कुल 27.7590हैक् में से वादी अकेला 3.1156हैक् व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.5856हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 111/114 की कुल 6.3360हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

।

निर्णय आज दिनांक 3/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बुधराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 961 सन 2020 निर्णय दिनांक-03/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 110/115 की कुल 27.7590 हैक में से वादी अकेला 3.1156 हैक व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.5856 हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 111/114 की कुल 6.3360 हैक भूमि में सयुक्त तोर से 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते